

प्रेस नोट दिनांक-29.04.2025 जनपद प्रतापगढ़

थाना नवाबगंज-

थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा चोरी करने वाले 04 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ० अनिल कुमार का अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी-

थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा क्षेत्रान्तर्गत कोराली मोड हाइवे से किया गया गिरफ्तार

अभियुक्तों के कब्जे से चोरी की 01 मोटर साइकिल व निशादेही पर चोरी के चावल 70 किलोग्राम, गेहूं 40 किलोग्राम व कैरम बोर्ड-2 पीस, बैटमिन्टन - 2 पीस, थाली - 5 पीस, विद्यालय की मोहर - 1 पीस, 01 ताले, 01 आरी, गाड़ी की नम्बर प्लेट व 460 रुपये किया गया बरामद-

घटना का संक्षिप्त विवरण-

थाना नवाबगंज क्षेत्रान्तर्गत ग्राम वाजिदपुर के प्रा० विद्यालय में आरोपियों द्वारा घुस कर सामान चोरी करने के प्रकरण में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना नवाबगंज में मु०अ०सं० 58/2025 धारा 331 (4)/305 (e) बी०एन०एस० बनाम अज्ञात चोर के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ० अनिल कुमार द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी, प्रतापगढ़ श्री संजय राय व क्षेत्राधिकारी कुण्डा श्री अमरनाथ गुप्ता के कुशल पर्वेक्षण में थाना नवाबगंज थानाध्यक्ष श्री संतोष कुमार सिंह के नेतृत्व में उ०नि० मुकेश सिंह परिहार मय हमराह उ०नि० गुलाब सिंह, उ०नि० शिशिर पटेल, उ०नि० राजनारायण सिंह, का० नीरज पटेल, का० अनिल यादव, चालक का० दुर्वीन यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त के दौरान, मुखबिर की सूचना पर थाना नवाबगंज पर पंजीकृत मु०अ०सं० 58/2025 धारा 331 (4)/305 (e) बी०एन०एस० से संबंधित वांछित 04 अभियुक्तों 1. मयूर तिवारी पुत्र राजेन्द्र कुमार तिवारी निवासी बैराना वाजिदपुर थाना नवाबगंज जनपद प्रतापगढ़, 2. जावेद खान पुत्र मोहम्मद अनीश निवासी वाजिदपुर थाना नवाबगंज जनपद प्रतापगढ़, 3. जसवंत नाई पुत्र रामहर्ष निवासी छत्ता का पुरवा कोराली थाना नवाबगंज जनपद प्रतापगढ़, 4. सानू अहमद पुत्र नजीर अहमद निवासी सबीसपुर थाना ऊंचाहार जनपद रायबरेली को चोरी की 01 मोटर साइकिल व निशादेही पर चोरी के चावल 70 किलोग्राम, गेहूं 40 किलोग्राम व कैरम बोर्ड-2 पीस, बैटमिन्टन - 2 पीस, थाली - 5 पीस, विद्यालय की मोहर - 1 पीस, 01 ताले, 01 आरी, गाड़ी की नम्बर प्लेट व 460 रुपये के साथ थाना नवाबगंज क्षेत्रान्तर्गत कोराली मोड हाइवे से गिरफ्तार किया गया।

उक्त गिरफ्तारी/ बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2)/318(4)/336(2)/340 (2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. मयूर तिवारी पुत्र राजेन्द्र कुमार तिवारी निवासी बैराना वाजिदपुर थाना नवाबगंज जनपद प्रतापगढ़।
2. जावेद खान पुत्र मोहम्मद अनीश निवासी वाजिदपुर थाना नवाबगंज जनपद प्रतापगढ़।
3. जसवंत नाई पुत्र रामहर्ष निवासी छत्ता का पुरवा कोराली थाना नवाबगंज जनपद प्रतापगढ़।
4. सानू अहमद पुत्र नजीर अहमद निवासी सबीसपुर थाना ऊंचाहार जनपद रायबरेली।

गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछने पर अपनी गलती की माँफी मांगते हुए एक स्वर में बता रहे हैं कि हम लोग आसपास छोटी मोटी चोरिया करते रहते हैं। चोरियो से मिले सामान को औने पौने दाम पर बेचकर मिला पैसा आपस में बाँटकर अपना खर्चा चलाते हैं। ये गाड़ी हम तीनों ने मिलकर रायबरेली से 10-15 दिन पहले चुराये थे। हम लोग चोरी की मोटरसाइकिल लिये थे तथा हम लोग व हमारे साथी सानू ने मिलकर दो-तीन दिन पहले रात में वाजिदपुर प्राथमिक विधालय में आरी से ताला काटकर गेहूँ चावल व खेलने का सामान चोरी किये थे उसी में से कुछ सामान हम बेचने जा रहे थे। तथा कुछ सामान हम लोगो ने कोराली नहर पुल से वाजिदपुर की तरफ जाने वाली की नहर पटरी के किनारे झाड़ी में बिजली के खम्बे के पास छुपा दिये हैं। जिस पर हमारा ही साथी सानू जो हमारे साथ चोरी में शामिल था नजर बनाये हुये हैं। अभी साथ चलकर सामान बरामद करा सकते हैं।

बरामदगी-

चोरी की 01 मोटर साइकिल व निशादेही पर चोरी के चावल 70 किलोग्राम, गेहूँ 40 किलोग्राम व कैरम बोर्ड-2 पीस, बैटमिन्टन - 2 पीस, थाली - 5 पीस, विद्यालय की मोहर - 1 पीस, 01 ताले, 01 आरी, गाड़ी की नम्बर प्लेट व 460 रुपये बरामद।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

उ०नि० मुकेश सिंह परिहार मय हमराह उ०नि० गुलाब सिंह, उ०नि० शिशिर पटेल, उ०नि० राजनारायण सिंह, का० नीरज पटेल, का० अनिल यादव, चालक का० दुर्वीन यादव थाना नवाबगंज जनपद प्रतापगढ़।

थाना सांगीपुर-

थाना सांगीपुर पुलिस द्वारा अभियुक्तों के विरुद्ध की गई कड़ी कार्यवाही-

थाना सांगीपुर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम गड़हा के पास में सड़क दुर्घटना में शव को सड़क पर रखकर जाम लगाने व पुलिस की निष्पक्ष जाँच प्रणाली में बाधा उत्पन्न करना व पुलिस टीम पर पत्थर बाजी कर उत्पात मचाने वाले 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा परिजनों को भ्रमित करके जनपद का माहौल खराब करने और दंगा भड़काने के उद्देश्य से दिया गया था पत्थर बाजी की घटना को अन्जाम-

गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध इस घटना से पूर्व में थाना सांगीपुर में अभियोग है दर्ज-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ द्वारा टीमों गठित कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु संबंधित को दिये गये थे कड़े निर्देश-

प्रतापगढ़।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री डॉ० अनिल कुमार द्वारा घटना का शीघ्र अनावरण/ गिरफ्तारी हेतु संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गये थे। जिसके क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) श्री संजय राय के पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री रामसूरत सोनकर के पर्यवेक्षण में थाना सांगीपुर थानाध्यक्ष श्री मनीष कुमार त्रिपाठी के नेतृत्व में थाना सांगीपुर के उ०नि० ज्ञानेन्द्र कुमार मय हमराह का० कुलदीप पाल द्वारा विवेचनात्मक कार्यवाही

के दौरान, मुखबिर की सूचना पर थाना सांगीपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 69/2025 धारा 191(2)/126(2)/109/121(1)/132/352/351(3)/324(4) बीएनएस व 7 CLA ACT थाना सांगीपुर से संबंधित वाँछित 01 अभियुक्त अविनाश रजक उर्फ अवनीश पुत्र बहादुर रजक निवासी ग्राम देउम पश्चिम थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़ को थाना क्षेत्रान्तर्गत देउम चौराहा से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. अविनाश रजक उर्फ अवनीश पुत्र बहादुर रजक निवासी ग्राम देउम पश्चिम थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1- मु0अ0सं0- 01/2021 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़।

2-मु0अ0सं0 69/2025 धारा 191(2)/126(2)/109/121(1)/132/352/351(3)/324(4) बीएनएस व 7 CLA ACT थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

उ0नि0 ज्ञानेन्द्र कुमार मय हमराह का० कुलदीप पाल थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़।

थाना लालगंज-

बीट आरक्षी मधवेश राय व बीट आरक्षी ऋषिराज यादव की सतर्कता से 02 गैंगस्टर अभियुक्त गिरफ्तार थाना लालगंज के बीट आरक्षी मधवेश राय व बीट आरक्षी ऋषिराज यादव ने गैंगस्टर अभियुक्त पर कसा शिकंजा

बीट आरक्षी मधवेश राय व बीट आरक्षी ऋषिराज यादव ने साये की तरह बिछाए रखी अपनी पैनी नजर एसपी द्वारा अपराधी की पतारसी सुरागरसी के लिये थाना लालगंज के बीट आरक्षी मधवेश राय व बीट आरक्षी ऋषिराज यादव को दिया जाएगा ईनाम व प्रशस्ति-पत्र

थाना लालगंज पुलिस द्वारा थाना लालगंज क्षेत्रान्तर्गत नया पुरवा, बेलहा मोड़ के पास से गैंगस्टर 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार गैंगस्टर अभियुक्त चोरी, धोखाधड़ी मारपीट, धमकी, गाली गलौज व आर्म्स एक्ट जैसे संगीन अपराधों में अभ्यस्त

जनपद में अपराध नियंत्रण/ संगीन धाराओं में संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु बीट पुलिसिंग प्रणाली को मजबूत किया जा रहा है-

इसी क्रम में बहादुर बीट आरक्षी मधवेश राय व बीट आरक्षी ऋषिराज यादव के सहयोग से थाना लालगंज पुलिस द्वारा मु0अ0सं0-154/2025 धारा 2/3 यू०पी० गैंगस्टर एक्ट थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ में वाँछित 02 अभियुक्तों 1- कुलदीप सरोज पुत्र दुधनाथ सरोज उम्र करीब 24 वर्ष निवासी ग्राम लाला का पुरवा थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़, 2- सुबेदार तिवारी पुत्र राजनारायण तिवारी उम्र करीब 22 वर्ष निवासी ग्राम धारुपुर थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ को आज दिनांक 29.04.2025 को थाना लालगंज क्षेत्रान्तर्गत नया पुरवा, बेलहा मोड़ के पास से गिरफ्तार किया।

गैंगस्टर एक्ट के गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1- कुलदीप सरोज पुत्र दुधनाथ सरोज उम्र करीब 24 वर्ष निवासी ग्राम लाला का पुरवा थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0395/2024 धारा 317(2), 317(4), 317(5), 318(4), 319(2), 336(3), 338, 340(2) बीएनएस व 35 बीएनएसएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ ।
2. मु0अ0सं0-238/2024 धारा 379, 411 भादवि थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़ ।
3. मु0अ0सं0-183/2024 धारा 379, 411 भादवि थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़ ।
4. मु0अ0सं0-527/2024 धारा 379, 411 भादवि थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़ ।
5. मु0अ0सं0-495/2018 धारा 323, 504, 506 भादवि थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ ।
6. मु0अ0सं0-688/2020 धारा 323, 452, 504, 506 भादवि थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ ।
7. मु0अ0सं0-154/2025 धारा 2/3 उ0प्र0 गैंगस्टर एक्ट थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ ।

2- सुबेदार तिवारी पुत्र राजनारायण तिवारी उम्र करीब 22 वर्ष निवासी ग्राम धारुपुर थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0395/2024 धारा 317(2), 317(4), 317(5), 318(4), 319(2), 336(3), 338, 340(2) बीएनएस व 35 बीएनएसएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ ।
2. मु0अ0सं0-238/2024 धारा 379, 411 भादवि थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़ ।
3. मु0अ0सं0-183/2024 धारा 379, 411 भादवि थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़ ।
4. मु0अ0सं0-527/2024 धारा 379, 411 भादवि थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़ ।
5. मु0अ0सं0-154/2025 धारा 2/3 उ0प्र0 गैंगस्टर एक्ट थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना महेशगंज-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में अपराध/ अपराधियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही जारी-

थाना महेशगंज पुलिस द्वारा गोवध अधि0 व पशु क्रूरता निवारण अधि0 से संबंधित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

थाना महेशगंज पुलिस द्वारा अभियुक्त को थाना क्षेत्रान्तर्गत पटना नहर के पास से किया गया गिरफ्तार-

प्रतापगढ़ ।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अभियुक्त वांछित/ वारण्टी अपराधी की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री संजय राय एवं क्षेत्राधिकारी सदर श्रीमती करिश्मा गुप्ता के कुशल पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी महेशगंज श्री मुकेश कुमार सिंह के नेतृत्व में व0उ0नि0 सुरेन्द्र सिंह मय हमराह का0 लालबहादुर वर्मा, का0 अश्वनी खरवार द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त व चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर थाना महेशगंज के मु0अ0सं0 16/ 25 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम से संबंधित 01 अभियुक्त विश्वेश प्रताप सिंह यादव उर्फ अमन पुत्र सुरेश यादव निवासी भवानी का पुरवा डीहबलाई थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ़ उम्र लगभग 22 वर्ष को थाना क्षेत्रान्तर्गत पटना नहर के पास से किया गया गिरफ्तार ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1- विश्वेश प्रताप सिंह यादव उर्फ अमन पुत्र सुरेश यादव निवासी भवानी का पुरवा डीहबलाई थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ़ उम्र लगभग 22 वर्ष ।

पुलिस टीम-

व0उ0नि0 सुरेन्द्र सिंह मय हमराह का ० लालबहादुर वर्मा, का0 अश्वनी खरवार थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना आसपुर देवसरा-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में अपराध/ अपराधियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही जारी-

थाना आसपुर देवसरा पुलिस द्वारा गोवध अधि0 व पशु क्रूरता निवारण अधि0 से संबंधित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

थाना आसपुर देवसरा पुलिस द्वारा अभियुक्त को थाना क्षेत्रान्तर्गत कोपा मोड़ के पास से किया गया गिरफ्तार

अभियुक्त पर जनपद चन्दौली, जनपद जौनपुर, जनपद प्रतापगढ़ में गो0 हत्या, पशु क्रूरता, आर्म्स एक्ट, हत्या का प्रयास जैसे संगीन अपराध पंजीकृत है ।

प्रतापगढ़ ।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अभियुक्त वांछित/ वारण्टी अपराधी की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री दुर्गेश कुमार सिंह एवं क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री मनोज कुमार सिंह रघुवंशी के कुशल पर्यवेक्षण में थाना आसपुर देवसरा थानाध्यक्ष श्री धीरेन्द्र ठाकुर के नेतृत्व में उ0नि0 राजन कुमार बिन्द मय हमराह का0 अजीत चौहान, का0 नन्दकिशोर द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त व चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर थाना आसपुर देवसरा के मु0अ0सं0 217/21 धारा 3/5/8 गौबध अधि0, 429 भादवि थाना आसपुर देवसरा व मु0अ0सं0 227/21 धारा 147/148/149/307/120बी भादवि व धारा 3/5A /8 उ0प्र0 गोवध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता निवारण अधि0 से संबंधित 01 अभियुक्त निन्ह उर्फ बच्चा उर्फ मो० हुसैन पुत्र स्व0 मो0 शाबिर अली उम्र करीब 34 वर्ष निवासी ग्राम लहमनी थाना महाराजगंज जनपद जौनपुर को थाना क्षेत्रान्तर्गत कोपा मोड़ के पास से गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1- निन्ह उर्फ बच्चा उर्फ मो० हुसैन पुत्र स्व0 मो0 शाबिर अली उम्र करीब 34 वर्ष निवासी ग्राम लहमनी थाना महाराजगंज जनपद जौनपुर।

अभियुक्त निन्ह उर्फ बच्चा उर्फ मो० हुसैन पुत्र स्व0 मो0 शाबिर अली उम्र करीब 34 वर्ष निवासी ग्राम लहमनी थाना महाराजगंज जनपद जौनपुर का आपराधिक इतिहास-

01- मु0अ0सं0 196/2024 धारा 3/5A /8 उ0प्र0 गोवध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता निवारण अधि0 थाना अली नगर चंदौली ।

- 02- मु0अ0सं0 33/16 धारा 3/5A /8 उ0प्र0 गोवध निवारण अधि0 थाना पवारा जनपद जौनपुर ।
- 03- मु0अ0सं0 39/2025 धारा 3/25 आम्स एक्ट थाना महाराजगंज जनपद जौनपुर ।
- 04- मु0अ0सं0 217/21 धारा 3/5/8 गौबध अधि0, 429 भादवि थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़ ।
- 05- मु0अ0सं0 227/21 धारा 147/148/149/307/120बी भादवि व धारा 3/5A /8 उ0प्र0 गोवध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता निवारण अधि0 थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़ ।

पुलिस टीम-

उ0नि0 राजन कुमार बिन्द मय हमराह का0 अजीत चौहान, का0 नन्दकिशोर थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़ ।